वित्तीय स्वीकृति-2017-18

संख्या-2/2017/320/52-2-17-2(6)/2017

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0, □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु□□□-2 लखनऊ दिनांक 11□□, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□□□□0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु अनुमानित आय-व्ययक धनराशि रू0 4,13,10,000/- के प्रथम पाच माहो के लिए स्वीकृत लेखानुदा क्ष धनराशि रू01,66,31,000/- की वित्तीय स्वीकृति।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे वित्त (आय-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संर -3/2017/□□-1-348/□□-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ/रा□□□ के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित आय-व्ययक धनराशि रू0 4,13,10,000/-(रूपये चार करोड तेरह लाख दस हजार म त्र) के प्रथम पा◌ँच माहों के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष 5/12वां भाग की धनराशि रू0 1,66,31,000 (रूपया एक करोड छियाछठ लाख इकतीस हजार मात्र) निम्नलिखित विवरण के अनुसार एवं अधोलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं◌ः-

आयोजनेत्तर- (रू0 हजार में)

क्रमांक	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमानित आय-व्ययक धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमानित आय-व्ययक का 5/12 वां भाग की वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-	01-वेतन	23130	23130
2-	02-मजदूरी	200	200
3-	03-मंहगाई भत्ता	1156	1156
4-	04-यात्रा 04-व्यय	200	200
5-	06-अन्य भत्ते	1300	1300
6-	07-मानदेय	1000	1000
7-	08-कार्यालय ब्यय	800	800
8-	09-विद्युत देय	200	200
9-	10 जल कर/जल प्रभार	50	50
10-	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	550	550
11-	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800	800
12-	13-टेलीफोन पर ब्यय	450	450
13-	14-मोटर गाडियों का क्रय	---	---
14-	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16000	16000
15-	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	800	800
16-	17-किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	3600	3600
	18-प्रकाशन	250	250
17-	22-आथित्य व्यय/व्यय विशयक भत्ता आदि	200	200
18-	26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	200	200
19-	42 अन्य व्यय	600	600
20-	4 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक	200	200
21-	व्यय	200	200
22-	45- अवकाश यात्रा व्यय	1000	1000
23-	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्वेयर का क्रय		
	47-कम्प्युटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी	400	400
24-	स्टेशनरीका क्रय	1000	1000
25-	49- चिकित्सा व्यय	20	20
26-	51- वर्दी व्यय	1395	---
27-	52-पुनरीक्षित वेतन का (राजकीय)	41310	16631
	योग-		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 1,66,.31,000/-(रू0 एक करोड़ छियाछठ लाख इकतीस हजार मात्र)

2-(1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) कृपया सुनिश्चित किया जाय कि घनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की □□ रही धनराशि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं □□□□

(4) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के संबंध में समय≤ पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का □□□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0एम0-13 पर लेखा शीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-□0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□- 2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्य -3/2017/□□-1-348/□□- 2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(□□□□□ □□0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
2- □□□□□□□□ (□□□ □□□कदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
3- सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0, □□□□□
4- रजिस्टार उ0प्र0 वक्फ न्यायधिकरण लखनऊ एवं रामपुर ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, □□□□□
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाह□ □□□, □□□□□
7- वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) □□□□-11
9- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(□□0 अरविन्द कुमार चैरसिया)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in